[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 29th May, 2015

S.O. ____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2015 (21 of 2015), the Central Government hereby appoints the 29th May, 2015 as the date on which the provisions of sections 1 to 12 and 15 to 23 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /6 /2015-CL. V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 ,खंड 3, उपखंड (भं) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ......(अ)- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 21) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मई, 2015 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 12 और धारा 15 से धारा 23 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल संख्या 1/6/2015-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया

संयुक्त सचिव, भारत सरकार